क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–189/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राईजेज, खनन पट्टा संख्या 19/2022 ग्राम नयागांव द्वारा ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर संख्या 78** खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राईजेज, खसरा संख्या 1476, 1482 एवं 1484	19/2022	1.0149	नयागांव	ग्रेनाईट	152880
2	श्री कैलाश चन्द बलाई	74/2018	1.0443	बघेरा	ग्रेनाईट	146916
3	श्री राजाराम कुमावत	28/2019	1.2803	मानखण्ड़	ग्रेनाईट	91188
4	श्री लोकेन्द्र सिंह राठौड़	08/2014	1.0	नयागांव	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	64381
5	श्री रामवतार दोदिया	08/2021	1.0017	नयागांव	ग्रेनाईट	117584
6	श्री चर्तुभुज लोहार	45/2020	1.0	मानखण्ड़	ग्रेनाईट	114290
7	श्री रामराज मीणा	49/2020	1.4577	बघेरा	ग्रेनाईट	172368
8	श्री उगमा राम खीचड़	30/2021	1.0159	मानखण्ड़	ग्रेनाईट	81400
9	श्री अमित नय्यर	31/2021	1.0982	मानखण्ड़	ग्रेनाईट	115830
10	श्री अमित नय्यर	32/2021	1.0257	मानखण्ड़	ग्रेनाईट	115830

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 10.9387 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–1172667 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम नयागांव, बघेरा एवं मानखण्ड़ तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राईजेज, खनन पट्टा संख्या 19/2022 ग्राम नयागांव ने** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
   1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बघेरा, तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2022/10314–323 दिनांक 20.08.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 28/09/2022** को **दोपहर 12:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तॅवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी